# प्रेस नोट दिनांक 12.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

## थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 नितिश यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान केस न0 2648/21 अ0सं0 248/2004 धारा 323,504,325 भादवि राज्य बनाम रामनरेश थाना लालगंज जनपद प्रातपगढ से संबंधित 01 अभियुक्त, राकेश कुमार पुत्र रामफल निवासी ग्राम कैथौला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राकेश कुमार पुत्र रामफल निवासी ग्राम कैथौला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष।

पुलिस टीम -

उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 नितिश यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

## थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़

थाना मांधाता द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मांधाता के उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह हे0का0 बीरेन्द्र यादव, रि0का0 सचिन यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0न0 11925/20 धारा 323/324/504/506 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त, रामसुन्दर पुत्र ननकू यादव निवासी छेमीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 55 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामसुन्दर पुत्र ननकू यादव निवासी छेमीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 55 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह हे0का0 बीरेन्द्र यादव, रि0का0 सचिन यादव थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

## थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ।

थाना मांधाता द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मांधाता के उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह हे0 का0 देवनारायण व हे0 का0 रविशंकर द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0न0 626/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त, मो0 जिब्राइल पुत्र सुबराती शाह निवासी तरौल, थाना-मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 जिब्राइल पुत्र सुबराती शाह निवासी तरौल,थाना-मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह हे0 का0 देवनारायण व हे0 का0 रविशंकर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

## थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना सांगीपुर के उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव, का0 अमित कुमार, का0 सूर्यप्रकाश यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान क्राइम नं0 215/2016 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रातपगढ से संबंधित 01 अभियुक्त, विक्रम सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम शीताली का पुरवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विक्रम सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम शीताली का पुरवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव, का0 अमित कुमार, का0 सूर्यप्रकाश यादव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता पुलिस की प्रभावी कार्यवाही: “हत्या का प्रयास” के अभियोग में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डा बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मांधाता पुलिस द्वारा “हत्या का प्रयास” के अभियोग से संबंधित वांछित 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

थाना मांधाता पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत भगवतगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 11.07.2026 को थाना मांधाता क्षेत्रान्तर्गत भगवतगंज बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर नामजद एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र के साथ सीमेंट-सरिया की दुकान के सामने लाठी-डंडा व हॉकी से मारपीट की गई। लोगों के एकत्र होने पर आरोपी घायल को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में थाना मांधाता पर मु0अ0स0 80/26 धारा 191 (2)115 (2)/352/109 (1) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मांधाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मांधाता के उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह हे0 का0 अनवर हुसैन, का0 नवनीत कुमार, का0 अनी कुमार, रि0का0 शुभम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 80/26 धारा 191 (2)115 (2)/352/109 (1) बीएनएस थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ से संबंधित 05 अभियुक्त, 01.बिन्देश्वरी सोनी पुत्र रामचन्दर सोनी उम्र करीब 31 वर्ष 2.सूरज सोनी पुत्र कल्लू सोनी 31 वर्ष 3.आर्यन सोनी पुत्र राजेश सोनी उम्र करीब 19 वर्ष 4.शिवा सोनी पुत्र कल्लू सोनी 21 वर्ष 5.संदीप सोनी पुत्र कल्लू सोनी उम्र करीब 25 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम भागवतगंज थाना मान्धाता प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत भगवतगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर 02 अदद डण्डा बरामद किये गये।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो बताया कि दिनांक 11.07.2026 को ग्राम अकारीपुर में मारपीट का विवाद हुआ था, जिसमें राजू सिंह को चोटें आई थीं। इस संबंध में थाना पर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमे के कारण गिरफ्तारी के भय से वे कहीं बाहर जाने के लिए वाहन/साधन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. बिन्देश्वरी सोनी पुत्र रामचन्दर सोनी उम्र करीब 31 वर्ष
2. सूरज सोनी पुत्र कल्लू सोनी 31 वर्ष
3. आर्यन सोनी पुत्र राजेश सोनी उम्र करीब 19 वर्ष
4. शिवा सोनी पुत्र कल्लू सोनी 21 वर्ष
5. संदीप सोनी पुत्र कल्लू सोनी उम्र करीब 25 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम भगवतगंज थाना मान्धाता प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह हे0 का0 अनवर हुसैन, का0 नवनीत कुमार, का0 अनी कुमार, रि0का0 शुभम थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 प्रमेश यादव, का0 राजकिशोर यादव, रि0का0 अजीत कुमार, रि0का0 आजाद कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 3060/20 धारा 325/323/504/506 भादवि थाना लालगंज प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्तों, 01. सुरेश बहादुर मौर्य पुत्र रामेश्वर प्रसाद मौर्य नि0ग्रा0 कोठारमंगोलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, 02. बन्ने उर्फ राधेश्याम पुत्र हैबत मौर्य उर्फ बदीप्रसाद मौर्य नि0ग्रा0 कोठारमंगोलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, 03. गया प्रसाद पुत्र हैबत मौर्य उर्फ बदीप्रसाद मौर्य नि0ग्रा0 कोठारमंगोलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ तथा मु0नं0 1978/23 धारा 323/302/34 भादवि थाना लीलापुर प्रतापगढ़ से संबंधित 04. बबलू उर्फ रामबचन पुत्र हरिशरण सरोज नि0ग्रा0 तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सुरेश बहादुर मौर्य पुत्र रामेश्वर प्रसाद मौर्य नि0ग्रा0 कोठारमंगोलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
2. . बन्ने उर्फ राधेश्याम पुत्र हैबत मौर्य उर्फ बदीप्रसाद मौर्य नि0ग्रा0 कोठारमंगोलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
3. गया प्रसाद पुत्र हैबत मौर्य उर्फ बदीप्रसाद मौर्य नि0ग्रा0 कोठारमंगोलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
4. बबलू उर्फ रामबचन पुत्र हरिशरण सरोज नि0ग्रा0 तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 प्रमेश यादव, का0 राजकिशोर यादव, रि0का0 अजीत कुमार, रि0का0 आजाद कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

सरकारी कार्य में बाधा एवं लोक सेवक के साथ मारपीट का मामला: थाना हथिगवां पुलिस ने 02 नामजद अभियुक्तों, मो0 रईस, अनीस को किया गिरफ्तार

जनपद के थाना हथिगवां क्षेत्र में सरकारी दायित्वों का निर्वहन कर रहे लोक सेवक के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना का विवरण:

दिनांक 11 जुलाई, 2026 का है, जब 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र हथिगवां के अवर अभियंता (मूल निवासी- ग्राम चकदोंदी, नैनी, प्रयागराज) अपने सरकारी कार्य का संपादन कर रहे थे। इसी दौरान ग्राम कैमा निवासी मो0 रईस और अनीस पुत्रगण मो0 अशफाक तथा एक अज्ञात व्यक्ति ने कार्य में बाधा उत्पन्न की। अभियुक्तों ने न केवल लोक सेवक के साथ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें भयादोहन करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

वादी की तहरीर पर थाना हथिगवां में तत्काल सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया:
मु0अ0सं0: 139/2026 धाराएं: 115(2), 352, 351(3), 121(1), 132 बीएनएस।

विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12 जुलाई, 2026 को थाना हथिगवां पुलिस ने ग्राम कैमा क्षेत्र से नामजद अभियुक्तों 1. मो0 रईस, 2. अनीस पुत्रगण मो0 अशफाक निवासीगण ग्राम कैमा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अज्ञात अभियुक्त की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनता से अपील-
प्रतापगढ़ पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि कानून का पालन करें और लोक सेवकों के साथ सहयोग करें। सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट करना या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना एक गंभीर अपराध है। ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा अत्यंत कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कानून को हाथ में लेने का प्रयास करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

**थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।**
थाना फतनपुर द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना फतनपुर के उ0नि0 राजनाथ यादव मय का० देवेन्द्र सिंह, रि० आ० दीपक यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0न0 11680/23 अभियुक्त सम्बन्धित अ.स. 207/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना फतनपुर से संबंधित 02 अभियुक्त, 1.रंजीत यादव पुत्र इन्द्रबहादुर यादव उम्र करीब 44 वर्ष 2.तेजबहादुर यादव पुत्र बाबूलाल यादव उम्र करीब 62 वर्ष निवासीगण ग्राम पटहटिया खुर्द थाना फतनपुर प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. रंजीत यादव पुत्र इन्द्रबहादुर यादव उम्र करीब 44 वर्ष
2. तेजबहादुर यादव पुत्र बाबूलाल यादव उम्र करीब 62 वर्ष निवासीगण ग्राम पटहटिया खुर्द थाना फतनपुर प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 राजनाथ यादव मय का० देवेन्द्र सिंह, रि० आ० दीपक यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

साइबर धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा: ₹2.26 करोड़ के लेन-देन में लिप्त मास्टरमाइंड विराज सिंह को थाना लीलापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार-

जनपद पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना लीलापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी विराज सिंह को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी कमीशन के लालच में बैंक खातों को साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराकर अवैध धन के लेन-देन में सक्रिय था।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
प्राप्त प्रार्थना पत्र साइबर हेल्प डेस्क द्वारा संदिग्ध म्यूल खातों की जांच के दौरान आईडीएफसी बैंक के खाता (लक्ष्मी इंटरप्राइजेज) का उपयोग देशभर में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में किया जाना प्रकाश में आया। एनसीआरपी पोर्टल पर इस खाते के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में कुल 08 शिकायतें दर्ज पाई गईं, जिनमें लगभग ₹2,26,68,490.80 की साइबर धोखाधड़ी होना पाया गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि खाता मनाली सिंह के नाम पर था, जबकि उसका संचालन उनके पति विराज सिंह द्वारा किया जा रहा था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि कमीशन के लालच में खाते का विवरण, नेट बैंकिंग एवं लिंक मोबाइल नंबर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से धोखाधड़ी की धनराशि का लेन-देन किया जाता था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 01. विराज सिंह, 02. गुलाबचन्द जायसवाल उर्फ रोहित, 03. रोहित एवं कुछ अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में थाना लीलापुर के निरीक्षक गिरजाशंकर यादव मय वरिष्ठ उ0नि0 अंकुर कैथवास, उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह हे0का0 अजय यादव, का0 महेश यादव, रि0का0 राजीव मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 218/2026 धारा 318 (4)/338/336 (3)/340(2)/61 (2)/45/112 (2) बी0एन0एस0 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्त विराज सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह नि०ग्रा0 कोहरचका साहबगंज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत सगरा सुन्दरपुर पहाड़पुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. विराज सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह नि०ग्रा0 कोहरचका साहबगंज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक गिरजाशंकर यादव मय वरिष्ठ उ0नि0 अंकुर कैथवास, उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह हे0का0 अजय यादव, का0 महेश यादव, रि0का0 राजीव मौर्या थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण; 03 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का माल, नगदी, अवैध तमंचा, कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने दिनांक 08.07.2026 को सर्राफा व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के चांदी के आभूषण, नगदी, अवैध तमंचा, कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.07.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रामपुर नहर के पास सर्राफा व्यवसायी से तमंचे के बल पर सोने-चांदी के आभूषण एवं नगदी लूटे जाने की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 406/2026 धारा 309(6), 351(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अंकित तिवारी, उ0नि0 अनिल कुमार, हे0का0 चालक शशि कुमार, आरक्षी राहुल कनौजिया, आरक्षी विवेक निषाद, आरक्षी जितेन्द्र कुमार, आरक्षी अनिल यादव एवं आरक्षी विकास कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 406/2026 धारा 309(6), 351(2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों- 1. राजेन्द्र वर्मा पुत्र राकेश वर्मा निवासी बरा सराय, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़, 2. सौरभ यादव पुत्र शेर बहादुर यादव निवासी सुम्हा पूरे कोलाहल, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़, 3. चन्दन सरोज पुत्र रमेश चन्द्र भारतीय निवासी बोझी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भोरही का पुरवा गौशाला के पास नहर के निकट से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 125 ग्राम गली हुई सफेद धातु (चांदी), 04 अदद बिछिया, 03 अदद नाक की कील (पीली धातु), ₹6,200 नगद, एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की सुजुकी मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(3) बीएनएस तथा अभियुक्त राजेन्द्र वर्मा के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 08.07.2026 को सर्राफा व्यवसायी सीताराम सोनी की रेकी कर सुनसान स्थान पर तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम

दिया था। लूटे गए चांदी के आभूषणों को गलाकर आपस में बांट लिया गया तथा लूटी गई नगदी का भी आपस में बंटवारा कर अधिकांश धनराशि खर्च कर दी गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. राजेन्द्र वर्मा पुत्र राकेश वर्मा निवासी बरा सराय, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
2. सौरभ यादव पुत्र शेर बहादुर यादव निवासी सुम्हा पूरे कोलाहल, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
3. चन्दन सरोज पुत्र रमेश चन्द्र भारतीय निवासी बोझी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
1. 125 ग्राम गली हुई सफेद धातु (चांदी)
2. 04 अदद बिछिया
3. 03 अदद नाक की कील (पीली धातु)
4. ₹6,200 नगद
5. 01 अवैध तमंचा .315 बोर
6. 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
7. 01 सुजुकी जिक्सर मोटरसाइकिल (बिना नंबर)

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अंकित तिवारी, उ0नि0 अनिल कुमार, हे0का0 चालक शशि कुमार, आरक्षी राहुल कनौजिया, आरक्षी विवेक निषाद, आरक्षी जितेन्द्र कुमार, आरक्षी अनिल यादव एवं आरक्षी विकास कुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 राजेश कुमार यादव, कां0 राजू गौड़ व कां0 चन्दन यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 1705418/2004 राज्य बनाम रामप्यारे अ0सं0 79/92 धारा 323/504/506 भादवि थाना रानीगंज से संबंधित 01 अभियुक्त, 1.गुलसहीम पुत्र मो0 मुस्तफा उम्र करीब 56 वर्ष 2.फैसल पुत्र गुलसहीम उम्र करीब 18 वर्ष 3.कैफ पुत्र गुलसहीम समस्त निवासीगण ग्राम जगदीशपुर (मेदौली) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. गुलसहीम पुत्र मो0 मुस्तफा उम्र करीब 56 वर्ष
2. फैसल पुत्र गुलसहीम उम्र करीब 18 वर्ष
3. कैफ पुत्र गुलसहीम समस्त निवासीगण ग्राम जगदीशपुर (मेदौली) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 गिरजा प्रसाद सिंह मय हमराह उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव, कां0 राजकिशोर चौहान व कां0 विकास बाबू थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

## थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना देल्हूपुर के थानाध्यक्ष उ0नि0 राधेश्याम मय हमराह उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, उ0नि0 राधेश्याम यादव, उ0नि0 रामसमुझ राम, का0 अतुल दूवे, का0 विकाश यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान ओल्डक्राइम नम्बर 1704408/2004 मु0अ0स0 261/98 धारा 354 भादवि थाना रानीगंज से संबंधित 01 अभियुक्त, 1.राकेश पुत्र रामलाल पासी निवासी ग्राम पवारपुर डिहवा थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. राकेश पुत्र रामलाल पासी निवासी ग्राम पवारपुर डिहवा थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष।

पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष उ0नि0 राधेश्याम मय हमराह उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, उ0नि0 राधेश्याम यादव, उ0नि0 रामसमुझ राम, का0 अतुल दूवे, का0 विकाश यादव थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा साइबर अपराध में संलिप्त वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, म्यूल बैंक खातों एवं सिम कार्ड उपलब्ध कराकर साइबर धोखाधड़ी कराने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 164/2026 धारा 3(5), 45, 318(4), 112(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्त द्वारा साइबर अपराधियों को बैंक खाते, लिंक सिम कार्ड एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराकर साइबर धोखाधड़ी में सहयोग करना प्रकाश में आया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना दिलीपपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 164/2026 की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त कन्हैयालाल पुत्र रामखेलावन हरिजन निवासी मरुआन दांदूपुर मुफरीद, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ने आर्थिक लाभ के लालच में अपने नाम से बैंक खाते खुलवाए तथा उनसे लिंक मोबाइल सिम कार्ड साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए। अभियुक्त द्वारा कई बैंक खाते एवं 8 से 10 सिम कार्ड उपलब्ध कराए

गए, जिनका उपयोग देश के विभिन्न राज्यों में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी एवं अवैध लेन-देन के लिए किया जा रहा था।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) एवं समन्वय पोर्टल पर की गई जांच में अभियुक्त से संबंधित बैंक खातों/सिम कार्डों के विरुद्ध कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, मेघालय, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कुल 17 ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी (Online Financial Fraud) की शिकायतें दर्ज पाई गईं, जिससे अभियुक्त की साइबर अपराध में सक्रिय संलिप्तता प्रमाणित हुई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रमिल कुमार मय उ0नि0 पंकज कुमार मय हमराह आरक्षी जगदीश प्रसाद एवं आरक्षी निर्दोष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 164/26 धारा 3(5), 45, 318(4), 112 (2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त कन्हैयालाल पुत्र रामखेलावन हरिजन निवासी मरुआन दांदूपुर मुफरीद, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम श्रीनाथपुर स्थित जल जीवन मिशन की पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसकी पहचान विक्रम सिंह नामक व्यक्ति से हुई, जिसने अधिक धन का लालच देकर उसके नाम से बैंक खाते खुलवाए तथा उनसे लिंक सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लिए। अभियुक्त ने अपना बैंक पासबुक, खाते से लिंक सिम कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज कोरियर के माध्यम से भेजना स्वीकार किया। इसके बदले उसे प्रत्येक बैंक खाते के लिए लगभग ₹5,000 तथा प्रत्येक सिम कार्ड के लिए लगभग ₹1,000 दिए जाते थे। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने अपने बैंक खाते एवं सिम कार्ड साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए, जिनका उपयोग विभिन्न राज्यों में साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया गया।

बरामदगी-
1. एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल (Vivo)
2. दो अदद कोरियर रसीदें
3. एक अदद पैन कार्ड ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
कन्हैयालाल पुत्र रामखेलावन हरिजन निवासी मरुआन दांदूपुर मुफरीद, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रमिल कुमार मय उ0नि0 पंकज कुमार मय हमराह आरक्षी जगदीश प्रसाद एवं आरक्षी निर्दोष कुमार, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा साइबर धोखाधड़ी के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2026 धारा 61(2), 49, 318(4), 319(2), 111(2), 3(5) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना बाघराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2026 की विवेचना के दौरान साइबर धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त सचिन पटेल पुत्र रंग बहादुर पटेल निवासी साहू की चरही (भाव), थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ की संलिप्तता प्रकाश में आने पर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दिनेश कुमार मय उ0नि0 देवी दयाल वर्मा द्वारा को देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 176/2026 धारा 61(2), 49, 318(4), 319(2), 111(2), 3(5) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सचिन पटेल पुत्र रंग बहादुर पटेल, निवासी साहू की चरही (भाव), थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे ग्राम रोर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होने की जानकारी होने के कारण वह गिरफ्तारी के डर से छिपकर रह रहा था तथा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, किन्तु पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सचिन पटेल पुत्र रंग बहादुर पटेल, निवासी साहू की चरही (भाव), थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दिनेश कुमार मय उ0नि0 देवी दयाल वर्मा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

## थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा साइबर अपराध में संलिप्त 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, साइबर धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के सदस्यों पर शिकंजा-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत साइबर अपराध से संबंधित दो अभियोगों में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्तों द्वारा संगठित साइबर अपराधी गिरोह के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देना एवं अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करना प्रकाश में आया है। अभियुक्तों से साइबर अपराध में प्रयुक्त संसाधनों एवं गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना आसपुर देवसरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2026 धारा 3(5), 45, 318(4), 112(2) बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट की विवेचना के दौरान अभियुक्त श्रीराम गौतम पुत्र चौथी राम उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम भाउपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त द्वारा साइबर अपराध करने वाले संगठित गिरोह के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देना प्रकाश में आया है।

इसी क्रम में थाना आसपुर देवसरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2026 धारा 318(4), 45, 3(5), 112(2) बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट की विवेचना के दौरान अभियुक्त सचिन सिंह पुत्र आद्याप्रसाद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम दमड़ी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त द्वारा भी संगठित साइबर अपराधी गिरोह के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड की घटनाओं में संलिप्त होकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा साइबर अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश चौरसिया के नेतृत्व उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह का0 प्रतीक यादव, व उ0नि0 जावेद अहमद मय हमराह रि0आ0 रोशन पटेल, रि0म0आ0 सोनम यादव, रि0म0आ0 सुमन सिंह, पीआरडी मंजू देवी एवं चालक पीआरडी संजय द्वारा को देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 181/2026 धारा 3(5), 45, 318(4), 112(2) बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट व मु0अ0सं0 182/2026 धारा 318(4), 45, 3(5), 112(2) बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट से संबंधित क्रमशः 02 अभियुक्त, 01. श्रीराम गौतम पुत्र चौथी राम, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम भाउपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ 02.सचिन सिंह पुत्र आद्याप्रसाद, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम दमड़ी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को क्रमशः थाना क्षेत्रान्तर्गत भाउपुर व तेलियानी मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्त दोनों अभियोगों में साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की बरामदगी तथा गिरोह से जुड़े अन्य अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

मु0अ0सं0 181/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त श्रीराम गौतम पुत्र चौथी राम निवासी ग्राम भाउपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह का0 प्रतीक यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भाउपुर में सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया।

मु0अ0सं0 182/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त सचिन सिंह पुत्र आद्याप्रसाद निवासी ग्राम दमड़ी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उ0नि0 जावेद अहमद मय हमराह रि0आ0 रोशन पटेल, रि0म0आ0 सोनम यादव, रि0म0आ0 सुमन सिंह, पीआरडी मंजू देवी एवं चालक पीआरडी संजय द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी मोड़ से एलाही जाने वाली सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा साइबर अपराध से जुड़े व्यक्तियों के संपर्क में रहकर संगठित रूप से साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में संलिप्त होना प्रकाश में आया है। अभियुक्तों से गिरोह के अन्य सदस्यों, साइबर अपराध में प्रयुक्त संसाधनों एवं अपराध करने के तरीकों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं साइबर अपराध में प्रयुक्त उपकरणों की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. श्रीराम गौतम पुत्र चौथी राम, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम भाउपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
2. सचिन सिंह पुत्र आद्याप्रसाद, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम दमड़ी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

01.पुलिस टीम
उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह का0 प्रतीक यादव, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

02.पुलिस टीम
उ0नि0 जावेद अहमद मय हमराह रि0आ0 रोशन पटेल, रि0म0आ0 सोनम यादव, रि0म0आ0 सुमन सिंह, पीआरडी मंजू देवी एवं चालक पीआरडी संजय, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा साइबर अपराध में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, संगठित साइबर अपराध गिरोह का सदस्य गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना पट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 307/2026 धारा 3(5), 45, 61(2), 318(4), 112(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट से संबंधित 02

वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्तों द्वारा संगठित रूप से साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में संलिप्त होना प्रकाश में आया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना पट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 307/2026 की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत साइबर अपराध किया जा रहा था। अभियुक्तगण द्वारा बैंक खातों, मोबाइल नंबरों एवं अन्य बैंकिंग माध्यमों का उपयोग कर अवैध वित्तीय लेन-देन एवं साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रकाश में आने पर थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 12.07.2026 को कलियनापुर नहर पुलिया के पास से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह का0 सोनू कुमार, रि0का0 अमित यादव एवं रि0का0 रोशन द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 307/2026 धारा 3(5), 45, 61(2), 318(4), 112(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. मुकेश कुमार वर्मा पुत्र राजदेव वर्मा निवासी ग्राम रामपुर खागल पृथ्वीगंज बाजार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ एवं 2. रवि कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम अमसौना थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत कलियनापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तगण से साइबर अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अभियुक्तगण द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर संगठित रूप से साइबर अपराध करने की बात प्रकाश में आई है। अभियुक्तगण द्वारा साइबर अपराध में उपयोग किए जा रहे मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक खातों एवं अन्य दस्तावेजों के संबंध में जानकारी दी गई है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आने की संभावना है, जिनकी तलाश एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी-
1. एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (आरजो कम्पनी) अभियुक्त मुकेश कुमार वर्मा के कब्जे से।
2. एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (पोवा कम्पनी 5G) अभियुक्त रवि कुमार के कब्जे से।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. मुकेश कुमार वर्मा पुत्र राजदेव वर्मा निवासी ग्राम रामपुर खागल पृथ्वीगंज बाजार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।
2. रवि कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम अमसौना, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम-
निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह का0 सोनू कुमार, रि0का0 अमित यादव एवं रि0का0 रोशन, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा साइबर अपराध में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, फर्जी बैंक खातों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा साइबर अपराध में संलिप्त 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा फर्जी बैंक खातों का उपयोग कर साइबर धोखाधड़ी एवं अवैध वित्तीय लेन-देन में संलिप्त होना प्रकाश में आया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना जेठवारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-216/2026 धारा 3(5), 61(2), 49, 111(2)ख, 319(2), 318(4) बीएनएस, मु0अ0सं0-217/2026 धारा 3(5), 61(2), 49, 111(2)ख, 319(2), 318(4) बीएनएस एवं मु0अ0सं0-218/2026 धारा 3(5), 61(2), 49, 111(2)ख, 319(2), 318(4) बीएनएस के विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा आपस में षड्यंत्र कर अपने एवं अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराकर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही थी। अभियुक्तों द्वारा बैंक खातों, मोबाइल नंबर एवं नेट बैंकिंग संबंधी जानकारी साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराकर अवैध वित्तीय लाभ अर्जित किया जा रहा था।

विवेचना के दौरान बैंक खातों के विश्लेषण एवं साइबर पोर्टल से प्राप्त जानकारी में अभियुक्तों के खातों का उपयोग साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में किया जाना प्रकाश में आया। अभियुक्त दीपक सिंह के बैंक खाते/फर्म खाते से 27 शिकायतकर्ताओं से संबंधित लगभग ₹7.43 करोड़, अभियुक्त कृष्णलाल प्रजापति के खाते से 02 शिकायतकर्ताओं से संबंधित लगभग ₹6.93 लाख तथा अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ जयराम के खाते से 04 शिकायतकर्ताओं से संबंधित लगभग ₹7.23 लाख की साइबर धोखाधड़ी से संबंधित धनराशि का लेन-देन पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना जेठवारा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजीव वर्मा मय उ0नि0 हेमन्त यादव, उ0नि0 अमित वर्मा मय हमराह हे0का0 सत्येन्द्र कुमार, का0 दिनेश यादव एवं रि0का0 सूरज द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत नूरपुर नहर पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1. दीपक सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम नौवस्ता सरियापुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष, 2. कृष्णलाल प्रजापति पुत्र रामदीन प्रजापति निवासी पूरे नगिया पर्वतपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष, हरिश्चन्द्र पुत्र जियाराम वर्मा उर्फ जयराम निवासी छिटाही गम्भीरा, थाना जेठवारा, जनपद

प्रतापगढ़ उम्र करीब 49 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग आपस में मिलकर योजनाबद्ध तरीके से बैंक खातों का उपयोग साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। अभियुक्त हरिश्चन्द्र एवं कृष्णलाल ने अपने बैंक खातों को अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराना स्वीकार किया, जिनका उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के लेन-देन में किया जा रहा था।

अभियुक्त दीपक सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह पूर्व में भारत पे, फोन पे, गूगल पे, क्यूआर कोड साउंड बॉक्स एवं मर्चेन्ट अकाउंट बनाने का कार्य करता था। इसी दौरान उसकी पहचान कुछ साइबर अपराधियों से हुई, जिनके कहने पर उसने अपना बैंक खाता, नेट बैंकिंग आईडी एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराई। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि लालच में आकर उनके द्वारा साइबर अपराधियों को सहयोग किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दीपक सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम नौवस्ता सरियापुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष।
2. कृष्णलाल प्रजापति पुत्र रामदीन प्रजापति निवासी पूरे नगिया पर्वतपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष।
3. हरिश्चन्द्र पुत्र जियाराम वर्मा उर्फ जयराम निवासी छिटाही गम्भीरा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 49 वर्ष।

बरामदगी-

1. एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (IQOO Z10 Lite 5G)
2. एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (POCO M3)

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजीव वर्मा मय उ0नि0 हेमन्त यादव, उ0नि0 अमित वर्मा मय हमराह हे0का0 सत्येन्द्र कुमार, का0 दिनेश यादव एवं रि0का0 सूरज, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर अपराध में संलिप्त 05 अभियुक्त गिरफ्तार, साइबर धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश, अभियुक्त अपने बैंक खातों का प्रयोग कर कराते थे साइबर फ्रॉड-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-413/2026 धारा-318(4), 45, 112, 3(5) बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट से संबंधित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्तों द्वारा संगठित साइबर अपराधी गिरोह के

रूप में कार्य करते हुए अपने बैंक खातों का प्रयोग कर साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देना एवं अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करना प्रकाश में आया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-413/2026 धारा-318(4), 45, 112, 3(5) बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण एक संगठित साइबर अपराधी गिरोह के रूप में कार्य कर रहे थे। अभियुक्तगण द्वारा अपने बैंक खातों का प्रयोग करते हुए साइबर ठगी की घटनाओं को बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा रहा था। अभियुक्तों के खातों के माध्यम से साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि का लेन-देन किया जाना प्रकाश में आया है। अभियुक्तगण द्वारा जनपद स्तर पर सक्रिय होकर साइबर अपराधियों के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। प्रकरण में साइबर अपराध से संबंधित अन्य व्यक्तियों एवं गिरोह के सदस्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा साइबर अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष यादव के नेतृत्व में निरीक्षक मो0 इबरार अंसारी मय हमराह द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-413/2026 धारा-318(4), 45, 112, 3(5) बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट से संबंधित 05 अभियुक्तों 01.अंकित कुमार पटेल पुत्र राममिलन, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी महुआर कादीपुर, कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ 02.अंकित द्विवेदी पुत्र राजेश कुमार द्विवेदी, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी रेखा सदन नियर शिवम पैलेस, अष्टभुजा नगर सगरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ 03.अर्पित उपाध्याय पुत्र सुरेश कुमार उपाध्याय, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी अबरान हरिहरपुर, सुरियावां, जनपद भदोही 04.श्रेयांश द्विवेदी पुत्र कौशल किशोर द्विवेदी, उम्र करीब 19 वर्ष 05.युवराज सिंह पुत्र अजय सिंह, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी विवेक नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर संगठित रूप से साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में संलिप्त होना प्रकाश में आया है। अभियुक्तगण द्वारा अपने बैंक खातों का प्रयोग साइबर ठगी की धनराशि के लेन-देन हेतु किए जाने की बात सामने आई है।

अभियुक्तगण से साइबर अपराध करने वाले अन्य व्यक्तियों, बैंक खातों के प्रयोग, धनराशि के लेन-देन एवं अपराध करने के तरीकों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं साइबर अपराध में प्रयुक्त संसाधनों की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. अंकित कुमार पटेल पुत्र राममिलन, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी महुआर कादीपुर, कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

2. अंकित द्विवेदी पुत्र राजेश कुमार द्विवेदी, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी रेखा सदन नियर शिवम पैलेस, अष्टभुजा नगर सगरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
3. अर्पित उपाध्याय पुत्र सुरेश कुमार उपाध्याय, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी अबरान हरिहरपुर, सुरियावां, जनपद भदोही।
4. श्रेयांश द्विवेदी पुत्र कौशल किशोर द्विवेदी, उम्र करीब 19 वर्ष।
5. युवराज सिंह पुत्र अजय सिंह, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी विवेक नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम - निरीक्षक मो0 इबरार अंसारी मय हमराह थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा साइबर धोखाधड़ी के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 247/2026 धारा 112(1), 318(4), 319(2), 61(2)ए बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्त द्वारा साइबर अपराधियों के साथ मिलकर ऑनलाइन माध्यम से धोखाधड़ी एवं अवैध वित्तीय लेन-देन में संलिप्त होना प्रकाश में आया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 247/2026 की विवेचना के दौरान साइबर धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त प्रदीप कुमार सोनकर पुत्र राम गोपाल सोनकर निवासी सुभाष नगर (पानी की टंकी के पीछे), थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ की संलिप्तता प्रकाश में आने पर पुलिस टीम द्वारा पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा साइबर अपराधियों के साथ मिलकर अपने बैंक खातों एवं यूपीआई माध्यमों का उपयोग साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन में किया जाता था। अभियुक्त द्वारा अपने खातों में धनराशि प्राप्त कर उसे आगे ट्रांसफर करने एवं अवैध लाभ अर्जित करने की बात स्वीकार की गई है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा साइबर अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 राजकुमार द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0अ0सं0 247/2026 धारा 112(1), 318(4), 319(2), 61(2)ए बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार सोनकर पुत्र राम गोपाल सोनकर निवासी सुभाष नगर (पानी की टंकी के पीछे), थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को थाना परिसर से पूछताछ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसकी जान-पहचान विक्रम शुक्ला नामक व्यक्ति से थी, जो साइबर अपराध करता है। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि विक्रम शुक्ला द्वारा धनराशि के लेन-देन हेतु उसके यूपीआई/क्यूआर कोड एवं बैंक खातों का उपयोग किया जाता था, जिसके बदले उसे हिस्सा दिया जाता था। अभियुक्त ने यह भी बताया कि ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन एवं अन्य माध्यमों से साइबर धोखाधड़ी कर प्राप्त धनराशि को अपने एवं अन्य खातों में ट्रांसफर कराया जाता था। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित रूप से साइबर अपराध करता था तथा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को तत्काल निकालकर अथवा अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता था।

बरामदगी-
1. एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (OPPO RENO 10)
2. IMEI- 864601040252793, 864601040252785

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
प्रदीप कुमार सोनकर पुत्र राम गोपाल सोनकर, निवासी सुभाष नगर (पानी की टंकी के पीछे), थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 39 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजकुमार, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।